

Case No. 10720

Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer

Parties of

Necessary
pleaders & per-

ज्ञान आरक्षी के. ए. ए. के उपनिरीक्षक / प्रधान
 उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक
 ज्ञान आरक्षी की ओर से अपराध
 के अंतर्गत धारा अधिनियम के अर्धीन दण्डनीय
 गोरदोर / अपराध के संघ में अभियुक्त / अनियुक्त के विरुद्ध अभियोग
 पत्र / परिचाय पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ०

अभियुक्त / अभियुक्तगण.

निवासी / निवासिगणः

स्थाना..... 51/85..... राज्य.....
 उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण के ओर से अधिवक्ता
 श्री..... द्वारा..... गैरजुर्माना / नकालतनामा प्रस्तुत
 किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग
पत्र/परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया
अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के
आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा
190---(1) 40 प्रॉब्सो के अधीन संज्ञान के अन्तर्गत आदेश किया जाता है।
प्रकरण का पंजीयन नम्बर 600343/15 में दर्ज

三

अंगियुक्त / अंगियुक्तनः २०२१ के अधीन प्रावधानान्
प्रकाशने अंगियोगा पत्र ११ निशुल्क दिनांक

नूनि मागला सशित विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्राप्त
किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध

धारा 2 भा0दं0सं0 /

अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त
को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध
करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक यथा संगत उसके
शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की
स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रकट से दणित
कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, गुद्रांकित कर घोषित किया गया।
अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय
अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 500/- रुपये
के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम
की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण
कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली
जाये।

जप्तसुदा संपत्ति..... रुपये राजसात
विनये जाये। संपत्ति..... मूल्यहीन होने से नष्ट कर
व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी
को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया
जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के
आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम अपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित
अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत
अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta
Judicial magistrate first class
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि
500/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक
क0 5624 रसीद क0 85 दी गई।
अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगतान गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुरूप संचालित हो।

(Signature)
A.K. Gupta
Judicial magistrate first class
Gohad Dist. Bhind (M.P.)